मृत व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों और घायल को कितना मुआवजा दिया गया ; और

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे टिकट की राशि में कुछ राशि जीवन बीमा के प्रीमियम के रूप में भी सम्मिलित होती है, यदि हां, तो प्रीमियम की यह राशि किस दर पर वसूल की जाती है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान मृतकों के निकट सम्बन्धियों और घायल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के रूप में अभी तक 180 लाख रुपये (अनुमानित) की राशि का भुगतान किया गया है ।

(ख) जी नहीं । लेकिन टिकटों पर 50 पैसे से लेकर 1.50 रुपये तक का नाम मात्र अभिप्रभार लिया जाता है और इसे विशेष निधि में जमा कर दिया जाता है जिसमें से मृतकों के निकट सम्बन्धियों और घायलों को मुआवजा दिया जाता है ।

इलाहाबाद में कर्जन पुल पर भारी यातायात पर प्रतिबंध

1894. श्री राम पूजन पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद जनपद के कर्जन पुल पर भारी यातायात के साथ-साथ खाली ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि यातायात पर प्रतिबन्ध रेल विभाग और पुलिस अधिकारियों की सांठ-गांठ से लगाया गया है क्योंकि प्रत्येक महीने लाखों रुपये की नजायज आय की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय जांच ब्युरो से इस मामले की जांच कराने का आदेश देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकाजुन) : इस पुल के गर्डर प्रारम्भिक इस्पात के तथा वर्तमान सड़क लदान को वहन करने के लिए अपर्याप्त शक्ति वाले हैं ?

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Rail fare concession for studeiuU

1895. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of RAILWAYS be pleas-sed to slate:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to introduce 50 per cent concession in railway fares for students at any time during a calendar year; and

u

(b) if so, what amount is likely to be borne by the Government on this account?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN. THE DEPARTMENT OF PARLIA-. MENTARY AFFAIRS (SHRI MAL-, LIKARJUN): (a) BonaEde students of recognised educational institutions when travelling for educational, purposes are already admissible to 50 pec cent concession in second class. This facility is allowed for educational tours, for visiting their home towns during vacations and for travelling !to examination/training centres.